

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 374/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.09.2026

जनपद-आजमगढ़ | दिनांक-28.09.2026

- ☐ आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्राड की कुल ₹2,37,000/- धनराशि वापस करायी गयी
 - ☐ थाना निजामाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग, कोतवाली में नौकरी लगवाने के नाम पर, बरदह में क्रेडिट कार्ड से तथा गम्भीरपुर में फर्जी कॉल/UPI के माध्यम से हुआ था साइबर फ्राड
 - ☐ साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर धनराशि करायी गयी
- होल्ड**
- ☐ कोर्ट आर्डर/नियमानुसार प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों के खातों में वापस करायी गयी फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि
 - ☐ साइबर फ्राड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने एवं www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने की
- अपील**

घटना एवं साइबर फ्राड का विवरण-

जनपद आजमगढ़ के थाना निजामाबाद, कोतवाली, बरदह एवं गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत साइबर फ्राड के मामलों में संबंधित साइबर हेल्प डेस्क/साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की कुल ₹2,37,000/- (दो लाख सैंतीस हजार रुपये) की धनराशि वापस करायी गयी।

1. थाना निजामाबाद – ₹95,000/-

दिनांक 30.05.2026 को पीड़िता के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ₹95,000/- का साइबर फ्राड हुआ था। पीड़िता द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी। साइबर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया तथा कोर्ट आर्डर के माध्यम से दिनांक 17.09.2026 को ₹95,000/- पीड़िता के खाते में वापस कराये गये।

2. थाना कोतवाली – ₹75,000/-

पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर फोन कर विश्वास में लिया गया तथा ₹75,000/- की धनराशि ट्रांसफर करा ली गयी। इसके बाद आरोपी द्वारा मोबाइल फोन बंद कर दिया गया। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सम्पूर्ण धनराशि होल्ड करायी गयी तथा कोर्ट आर्डर के माध्यम से ₹75,000/- पीड़िता के खाते में वापस कराये गये।

3. थाना बरदह – ₹52,000/-

दिनांक 10.09.2026 को पीड़िता का फोन हैक कर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹52,000/- की ऑनलाइन खरीदारी कर साइबर फ्राड किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर थाना बरदह की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा संबंधित ऑनलाइन मर्चेन्ट से तत्काल संपर्क कर फ्राड की धनराशि से किये गये ऑर्डर को कैंसिल कराया गया तथा ₹52,000/- की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी।

4. थाना गम्भीरपुर – ₹10,000/-

आवेदक के साथ फर्जी कॉल के माध्यम से विश्वास में लेकर UPI/पेटीएम के जरिए ₹10,000/- का साइबर फ्राड किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्राड की सम्पूर्ण धनराशि फ्रीज/होल्ड करायी गयी तथा नियमानुसार प्रक्रिया के माध्यम से ₹10,000/- आवेदक के खाते में वापस कराये गये। इस प्रकार चारों मामलों में आजमगढ़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से साइबर फ्राड की कुल ₹2,37,000/- धनराशि पीड़ितों को वापस करायी गयी। धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ितों द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

आमजन से अपील-

साइबर फ्राड होने की स्थिति में बिना देरी किये तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा अपने संबंधित बैंक को भी तत्काल सूचित करें। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम-

थाना निजामाबाद: उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी।

थाना कोतवाली: उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल एवं का0 राजन कुमार गौड़।

थाना बरदह: थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह एवं म0आ0 आरती सिंह।

थाना गम्भीरपुर: थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी एवं रि0म0का0 आकांक्षा सिंह।

दिनांक-28.09.2026 | जनपद-आजमगढ़

☐ नई किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक में 02 पारिवारिक विवादों का कराया गया सफल समझौता

☐ थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा बहू से छेड़खानी एवं मारपीट के मामले में वांछित 65 वर्षीय अभियुक्त गिरफ्तार

☐ पारिवारिक विवादों के समाधान के साथ महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया के तहत भेजा गया न्यायालय

नई किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.09.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कुल 06 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें 04 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

परामर्श एवं काउन्सलिंग के माध्यम से अथक प्रयास कर 02 पारिवारिक प्रकरणों में सफलतापूर्वक समझौता कराया गया। एक प्रकरण में पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा ससुराल में न रहने देने, मारपीट एवं गाली-गलौज का विवाद था, जबकि दूसरे प्रकरण में बहू के बार-बार मायके चले जाने एवं वापस न आने संबंधी विवाद था। इसके अतिरिक्त 01 पत्रावली अन्य कारण से बंद की गयी।

समझौता किये गये प्रकरणों में:

1. निर्मला यादव पुत्री स्व0 दयाराम यादव, ग्राम मुर्चा मजफ्फरपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. राममूरत पुत्र लालचन्द, ग्राम कसड़े श्रीकान्तपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर पुलिस की कार्रवाई-

दिनांक 02.09.2026 को आवेदिका द्वारा अपने ससुर जितू चौहान के विरुद्ध बाल पकड़कर जमीन पर पटकने, मारपीट, छेड़खानी करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 139/2026 धारा 64, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लाल बहादुर प्रसाद को सुपुर्द की गयी। विवेचना के दौरान वादिनी के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.09.2026 को सरदहा अण्डरपास के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जितू चौहान पुत्र स्व0 अयोध्या चौहान, निवासी ग्राम खरचलपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 65 वर्ष को समय 08:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जितू चौहान पुत्र स्व0 अयोध्या चौहान, ग्राम खरचलपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 65 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 139/2026 धारा 64, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 लाल बहादुर प्रसाद, का0 बृजेश यादव एवं का0 प्रदीप कुमार यादव, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

नई किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की टीम:

काउन्सलर डॉ0 उमेश चन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, का0 जितेन्द्र कुमार साह, का0 सुनील कुमार गुप्ता एवं म0का0 नेहा सिंह।